राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–राजप / डीपीसी / अचल स.वि / 2019 / 132 दिनाक : 12.3.19

परिपत्र

कार्मिक विभाग के परिपत्र प.13(76)कार्मिक / क–1 / गो.प्र / 2011 दिनाक 12.02.2019 के द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये है कि जिन राजपत्रित अधिकारियो ने अपना वर्ष 2018 का अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन नहीं भरा था एवं उनके द्वारा अपना वर्ष 2019 का अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2019 तक ऑनलाईन भर दिया है उनको वर्ष 2018 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जावें।

अतः समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारियों व आहरण एवं वितरण अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग के उक्त निर्देशों की पालना करवायें।

संलग्न :– कार्मिक विभाग का परिपत्र 12.02.2019 की प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमाक :–राजप / डीपीसी / अचल.स.वि / 2019 / 132 दिनाक 12.3.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग राजस्थान जयपुर।
3 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4 सयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5 शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 निदेशक, आरसीएच / एड्स / ईएसआई / भ्रमणशील चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
7 समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
9 उप महानिरीक्षक, आर.ए.सी., राजस्थान।
10. समस्त अधीक्षक संलग्न,चिकित्सालय संघ राजस्थान।
11 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये–जोन।
12 समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी,राजस्थान।
13 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,राजस्थान।
14 समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
15 समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
16 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एव समस्त सबधित को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प 13(76) कार्मिक/क–1/गो प्र /2011 जयपुर,दिनांक 12 FEB 2019

–:परिपत्रः–

विषय–समस्त राजपत्रित अधिकारियो द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वय के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर मे IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने के सम्बन्ध मे।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 27.12.2017 के द्वारा राज्य मे कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियो को निर्देशित किया गया था कि वे स्वय के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR Module द्वारा ऑन–लाईन अपना अचल सम्पति विवरण प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति मे 31 जनवरी तक अपलोड किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। जो राजपत्रित अधिकारी 31 जनवरी तक अचल सम्पति विवरण अपलोड नही करेगें उनके विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमाक प 13(76) कार्मिक/क–1/गो प्र /2011 दिनाक 17.05.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेस क्लीयरेस, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि जुलाई माह से आगामी 30 जून तक स्वीकृत नही की जावेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों ने अपना वर्ष 2018 का अचल सम्पति विवरण ऑन–लाईन नहीं भरा था एवं उनके द्वारा अपना वर्ष 2019 का अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी 2019 तक ऑन–लाईन भर दिया है उनको वर्ष 2018 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जावें।

(रोली सिंह) 11/2/19
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.–

1 प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमत्री महोदय।
3 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4 समस्त अति मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5 समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मत्री/राज्य मत्री/ससदीय सचिव।
6.समस्त सभागीय आयुक्त ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरो सहित)
8 प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियो सहित ।
9 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10 तकनीकी निदेशक, सूचना एव प्रोद्योगिकी विभाग जयपुर।

सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3 पजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4 अतिरिक्त पजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6 पजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7 निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8 रक्षित पत्रावली।

सयुक्त शासन सचिव